

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF.....J.M.F.C. Gohad, DIST- BHIND (M.P)

Case No. 222/17

आपका पत्रिका नं. 222/17
तारीख 22/11/77

Complaint or report made on.....

Name and address of the Complainant.....उत्तर

Name, parentage, caste and address of accused

विनायक कुमार शर्मा पुत्र लालचरण शर्मा
सिवाजी नगर

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 23-9-17 को समय लगभग 1.30 बजे, स्थान
उत्तर अंतर्गत थाना उत्तर में वाहन जेड एल 5995
को बिना ड्राइवर के चलाया और
इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि मोटर वाहन एक्ट की धारा
M.P. 30 H.L. 5995 के तहत दण्डनीय अपराध है और इस
न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिष्ठा चाहते हो।

उत्तर
Judicial Magistrate First Class
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

The plea of the accused and his examination (If any)

अपराध स्वीकार है।

विनायक कुमार शर्मा

उत्तर
Judicial Magistrate First Class
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

The offence proved, If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the
value of the property in respect of which the offence has been committed.

निर्णय

(आज दिनांक 26/9/17 को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129/177 MVA के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी विनोद कुमार के को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129/177 MVA के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए कमबः राशि रुपये 100/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 10 दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
04. जप्तबुदा सम्पत्ति वाहन के 2023 को AP-30 ML को 8995 उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निर्देशन पर टंकित

Judicial Magistrate First Class
Gohadindia (M.P.)